पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीणा आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या 263/16 | निर्णय दिनांक
दायर दिनांक 08.09.2016 | 06.12.2017

उनवान

1. ज्ञानेन्द्र सिंह लोहिया पुत्र विजय पाल लोहिया जाति गूर्जर निवासी ई.28 आशियाना विलेज, भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला--अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला--अलवर (राज0)

दावा इस्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 53,188 राज.टी.ऐ. 1955

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि –

1. ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र विजयपाल लोहिया जाति गूर्जर निवासी ई.28 आशियाना विलेज भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला--अलवर (राज0) के हिस्से में ख0न0 198/1 रकबा 0.63 हैक्टयर खातेदार वाके ग्राम गूजरीवास रहेगी।

2. छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला--रेवाड़ी (हरियाणा) खातेदार के हिस्से में आ0ख0न0 198/2 रकबा 0.63 हैक्टयर वाके ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम रहेगी।

3. आराजी ख0न0 198/3 रकबा 0.01 हैक्टयर वाके ग्राम गूजरीवास तहसील कोटकासिम में ज्ञानेन्द्रसिंह पुत्र विजयपाल लोहिया जाति गूर्जर निवासी ई.28 आशियाना विलेज, भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला--अलवर (राजस्थान) 1/2 हिस्सा, छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला--रेवाड़ी (हरियाणा) 1/2 हिस्सा खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को टंकित किया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
कोटकासिम(अलवर)राज0
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधन आदेश

5/2/18 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.12.17 में सहवन से वादी का नाम ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र विजयपाल लोहिया लिखा गया। उसके स्थान पर ज्ञानेन्द्र सिंह लोहिया पुत्र विजयपाल लोहिया दर्ज किया जावे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी - श्री जितेन्द्र मीना R.A.S

क्र.सं.	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
263/16	7.9.2016	06/12/2017

उनवान

[1] धर्मेन्द्र सिंह सोढ़िया पुत्र शिवदयाल सोढ़िया जाति गुर्जर निवासी के-28 आशियाना विलेज, भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)

— वादी

बनाम

[1] छोटादेवी पत्नि तेजासिंह जाति गुर्जर निवासी असलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरि०)
[2] राज० सरकार जरिये मुख्तियारी अधिकारी (लैण्ड रेकार्ड) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हकूकतमलकाई - धारा अंतर्गत 53, 188 राज.टी.एक्ट 1955

उपस्थित -

[1] श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक वादी
[2] " विकास यादव अभिभाषक प्रति. सं. 1

वादी ने इस वाद न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता सं. 198/1-2700 है० वाके ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम मिन वादी एवं प्रतिवादिया सं. 1 की खातेदारी काश्त की आराजी है। मौके पर आराजात में ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में अभाज शामल हो रहा है। विवादित आराजी में मिन वादी का 1/2 भाग है। मौके पर मिन वादी प्रतिवादी सं. 1 के साथ आराजात में काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले

CMP

खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार—

Scanned by CamScanner

आ रहे हैं। उक्त आराजी है। पक्षकारान के मध्य आज तक विवादित आराजी बाबत किसी प्रकार का तकासमा (बटवारा) नहीं हुआ है। प्रतिवादिया सं. 1 आये रोज बिना वादी के भागजाती हिस्से के कब्जा काश्त में मुदाखलत व अड़चनात पैदा करती रहती है। फसल बोने व हंकाई करने में रुकावट पैदा करती रहती है। विवादित आराजी को बिना बटवारे प्रतिवादिया सं. 1 गैरान लोगों को बेचान करने की धमकी देती रहती है। प्रतिवादिया सं. 1 के साथ आम रास्ते में काश्त करना ना मुमकिन हो गया है। इसलिए वादी विवादित आराजी में अपने 1/2 भाग का तकासमा बाद मौका पर बाउण्ड्री कुर्रेजात कायम कर अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.6.2017 को प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से श्री विनोद यादव एड. ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 30.6.2017 को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार-2017 में पत्रावली पेश हुई। दावा तकासमा आराजी मध्य हुक्मनामे खातेदारान के होने पर बाद में दिनांक 30.6.2017 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार कोटकासिम को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस्तगासा जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 27.11.2017 को इस न्यायालय में पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील द्वारा सहमति प्रकट की गई।

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि :-

[1] ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र विजयपाल कोठिया जाति गुर्जर निवासी डी. 28 आशियाना विलेज भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.) के हिस्से में ख0 नं0 198 रकबा 0.63 हैक्टेयर खातेदार बतौर ग्राम गुर्जरवास रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार -

Scanned by CamScanner

[2] छोटा देवी पत्नि तेजासिंह जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरि.) खातेदार के हिस्से में आ.ख.नं. 138/2 रकबा 0.63 हैक्टयर वाके ग्राम गुर्जरीवास तहसील कोटकासिम रहेगी।

[3] आराजी ख.नं. 138/3 रकबा 0.01 हैक्टयर वाके ग्राम गुर्जरीवास तहसील कोटकासिम में ज्ञाने [illegible] पुत्र शिवपाल लोहिया जाति गुर्जर निवासी के-28 आशियाना विलेज, भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.) 1/2 हिस्सा, छोटा देवी पत्नि तेजासिंह जाति गुर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरि.) 1/2 हिस्सा खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधित

5-2/18 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.12.17 में सहवन से वादी का नाम ज्ञाने [illegible] पुत्र शिवपाल लोहिया लिखा गया। उसके स्थान पर ज्ञानेन्द्र लोहिया पुत्र शिवपाल लोहिया पढ़ा जावे।